कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 252/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.06.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर राजस्थान में बेचने के मामले में वांछित सह-अभियुक्त गिरफ्तार
राजस्थान निवासी कथित क्रेता को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत

घटना का विवरण

दिनांक 12.10.2024 को थाना रौनापार पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 395/2024, धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान पीड़िता के न्यायालयीन बयान, मेडिकल परीक्षण एवं आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर मुकदमे में **धारा 61(2), 98, 99, 70(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा नाबालिग बालिका को राजस्थान ले जाकर बेच दिया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में चार अभियुक्तों/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। विवेचना में पीड़िता के कथित क्रेता **धर्मचन्द सैनी उर्फ धर्मराज सैनी पुत्र सीताराम सैनी निवासी ग्राम मेहरासर चाचेरा, थाना सरदार शहर, जनपद चूरू (राजस्थान)** का नाम प्रकाश में आया, जिसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.06.2026 को उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित सह-अभियुक्त **धर्मचन्द सैनी उर्फ धर्मराज सैनी** को सरदार पटेल इंटर कॉलेज मोड़, ग्राम चिलबिली दान चिलबिली से प्रातः 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार उसके परिजनों को दी गई तथा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 395/2024, धारा 137(2), 87, 61(2), 98, 99, 70(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

धर्मचन्द सैनी उर्फ धर्मराज सैनी पुत्र सीताराम सैनी, निवासी ग्राम मेहरासर चाचेरा, थाना सरदार शहर, जनपद चूरू (राजस्थान)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 चन्द्रदेव यादव
- का0 मन्दू यादव
- का0 अर्जुन कुशवाहा

प्रेस नोट दिनांक 30.06.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
☐ पीड़िता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

घटना का विवरण

दिनांक 24.06.2026 को थाना गम्भीरपुर पर एक पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि **सोनू उर्फ शाहिल पुत्र आनन्द कुमार निवासी महँगूपुर, थाना गम्भीरपुर,** जनपद आजमगढ़ द्वारा **शादी का झांसा देकर** उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। शादी के लिए कहने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने तथा गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 157/2026, धारा 69, 88, 352 एवं 351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मधुबन कुमार सिंह एवं सहायक पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 30.06.2026 को व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त **सोनू उर्फ शाहिल** पुत्र आनन्द कुमार निवासी महँगूपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ को रोहुआ मोड़ से प्रातः लगभग 07:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 157/2026 धारा 69, 88, 352 एवं 351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

सोनू उर्फ शाहिल पुत्र आनन्द कुमार निवासी महँगूपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
- का0 विश्वामित्र, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट दिनांक 30.06.2026
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ थाना सिधारी पुलिस की कार्रवाई, अवैध असलहा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार
☐ दो देशी तमंचे एवं दो जीवित कारतूस .315 बोर बरामद

घटना का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी के नेतृत्व में थाना सिधारी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 30.06.2026 को उ0नि0 जावेद सिद्दीकी मय पुलिस टीम द्वारा खेमउपुर रोड स्थित डेंटल कॉलेज की बाउंड्री के पीछे पुलिया के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को समय 00:30 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से **02 देशी तमंचे एवं 02 जीवित कारतूस (.315 बोर)** बरामद हुए।

बरामदगी

- 02 अदद देशी तमंचा (.315 बोर)
- 02 अदद जीवित कारतूस (.315 बोर)

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **अखिलेश कुमार** पुत्र बुद्धे सिंह, निवासी ग्राम नगलाचिंता, थाना अछल्ला, जनपद औरैया।
2. **कमल** पुत्र कृष्ण मुरारी, निवासी ग्राम भोगांव, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 **270/2026**, धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 जावेद सिद्दीकी
- उ0नि0 पवन कुमार पाण्डेय
- का0 विनोद कुमार
- रि0का0 आकाश कुमार
- का0 विक्रान्त विश्वकर्मा
- रि0का0 सूरज मिश्रा

आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अवैध शस्त्र रखने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक 30.06.2026

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

☐ **नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

☐ **थाना सरायमीर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सभी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत**

घटना का विवरण

दिनांक 29.06.2026 को थाना सरायमीर पर एक नाबालिग पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 28.06.2026 की सायं उसे जबरन घर से ले जाकर चार व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर **थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 170/2026, धारा 70(2), 137(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सरायमीर भुवनेश कुमार चौबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.06.2026 को नन्दाव मोड़ क्षेत्र से मुकदमे में वांछित चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सर्वेश कुमार पुत्र हरिलाल, निवासी ग्राम शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. गोलू पुत्र चन्द्रबली, निवासी ग्राम शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. लालू पुत्र मुकेश, निवासी ग्राम शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
4. गोलू यादव उर्फ मोहित यादव पुत्र लालचन्द यादव, निवासी ग्राम शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 170/2026

धारा 70(2), 137(2), 351(3) बीएनएस एवं धारा 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे
- हे0का0 गौतम यादव
- रि0आ0 प्रियांशु कुमार
- रि0आ0 उत्कर्ष तिवारी
- रि0म0आ0 सौम्या तिवारी

आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित, प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक 30.06.2026
थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

☐ **पत्नी की हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
☐ **घरेलू विवाद के बाद चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने भेजा न्यायालय**

घटना का विवरण

दिनांक 20.06.2026 को थाना कप्तानगंज पर एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री, जिसकी शादी वर्ष 2014 में नीरज निषाद निवासी ग्राम अलहनी, थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी, को दिनांक 19.06.2026 को घरेलू विवाद के दौरान उसके पति द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के उपरांत आरोपी एवं उसके परिजन घर छोड़कर फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर **थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 187/2026, धारा 103(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.06.2026 को थानाध्यक्ष जय प्रकाश मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त **नीरज निषाद** पुत्र नन्दू निषाद निवासी ग्राम अलहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 187/2026 धारा 103(1) बीएनएस, **थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।**

गिरफ्तार अभियुक्त

नीरज निषाद पुत्र नन्दू निषाद निवासी ग्राम अलहनी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- थानाध्यक्ष जय प्रकाश
- रि0का0 दीपू यादव
- रि0म0का0 प्रीति यादव
- आरक्षी सुधांशु सिंह

आजमगढ़ पुलिस गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।